संख्या-663/2023/आई/356781/23-1-23/001-23-1002(002)/139/2023

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 26 जुलाई, 2023**

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से वाराणसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के 16 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-5109/CE-HQ-1/RSN3054/VNS/2023-24, दिनांक 11.07.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार वाराणसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के 16 मार्गों **के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 9,85,26,000/- (रूपये नौ करोड़ पचासी लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख. जौनपुर	प्रयागराज-गोरखपुर मार्ग।	279 /2023/756 रासनि(1) /23-1-23/001-40 आरएसएन/ 2023 दिनांक-16-03-2023	75.21 75.21 57.78 0.15 75.06	0.02	75.04	60.03
2	नि.ख. जौनपुर	भीखपुर-बादशाहपुर-तरहटी-किल्हापुर मार्ग।	279 /2023/756 रासनि(1) /23-1-23/001-40 आरएसएन/ 2023 दिनांक-16-03-2023	242.61 242.61 184.51 0.12 242.49	0.02	242.47	97.04
3	नि.ख. जौनपुर	मुंगराबादशाहपुर कस्बे का भाग।	279 /2023/756 रासनि(1) /23-1-23/001-40 आरएसएन/ 2023 दिनांक-16-03-2023	188.89 188.89 142.36 0.23 188.66	0.02	188.64	150.91
4	नि.ख. जौनपुर	चौकीकलाँ सम्पर्क मार्ग	279 /2023/756 रासनि(1) /23-1-23/001-40 आरएसएन/ 2023 दिनांक-16-03-2023	40.57 40.57 32.47 0.11 40.46	0.02	40.44	32.35
5	नि.ख. जौनपुर	जरौना-बसेरवाँ-कसेरवाँ मार्ग	279 /2023/756 रासनि(1) /23-1-23/001-40 आरएसएन/ 2023 दिनांक-	40.57 40.57 27.53	0.02	39.26	31.41

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			16-03-2023	1.29 39.28			
6	नि.ख. जौनपुर	हथेड़ा-नेवढ़ियां-धनेथू मार्ग	279 /2023/756 रासनि(1) /23-1-23/001-40 आरएसएन/ 2023 दिनांक- 16-03-2023	40.57 40.57 27.28 1.35 39.22	0.02	39.20	31.36
7	नि.ख.- 2 जौनपुर	जफराबाद देवकली से मामपुर बलईपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	422 /2022/798 रासनि/ 23-1-2022/001-46 आरएसएन/ 2022 दिनांक- 09-11-2022	50.16 50.16 33.13 1.78 48.38	12.54	35.84	35.84
8	नि.ख.- 2 जौनपुर	भुइली- आजाद नगर केराकत संपर्क मार्ग	465/2022/1091 रासनि/ 23-1-22/002-52 आरएसएन/ 2022 टीसी- दिनांक- 07-12-2022	51.04 51.04 38.28 1.98 49.06	12.76	36.30	36.30
9	नि.ख. चंदौली	मोहनसराय दीन दयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग।	55 /2023/1356 रासनि (11)/23-1-22/001-59 आरएसएन/ 2022 टीसी 3 दिनांक- 07-01-2023	370.90 370.90 297.08 1.54 369.36	92.72	276.64	185.45
10	नि.ख. चंदौली	चन्दौली (एन 0 एच 0-2) से धरौली मार्ग।	55 /2023/1356 रासनि (11)/23-1-22/001-59 आरएसएन/ 2022 टीसी 3 दिनांक- 07-01-2023	53.28 53.28 40.44 2.25 51.03	43.24	7.79	7.79
11	नि.ख. चंदौली	सहजनी- ' भीखमपुर हेतिमपुर मार्ग।	55 /2023/1356 रासनि (11)/23-1-22/001-59 आरएसएन/ 2022 टीसी 3 दिनांक- 07-01-2023	79.01 79.01 56.54 8.45 70.56	0.69	69.87	69.87
12	नि.ख. चंदौली	चकिया इलिया मार्ग के किमी- 28 गॉधीनगर से छित्तमपुर रामगढ़ बार्डर तक मार्ग।(वाया लतीफशाह , खास , छित्तमपुर , ढ़ोढनपुर)	55 /2023/1356 रासनि (11)/23-1-22/001-59 आरएसएन/ 2022 टीसी 3 दिनांक- 07-01-2023	124.63 124.63 104.28 0.54 124.09	31.16	92.93	74.34
13	नि.ख.- 1 वाराणसी	खालिसपुर-हिरामनपुर-पतिराजपुर-गड़खरा मार्ग।	279 /2023/756 रासनि(1) /23-1-23/001-40 आरएसएन/ 2023 दिनांक- 16-03-2023	93.07 93.07 75.17 3.14 89.93	0.01	89.92	68.16
14	नि.ख.- 1 वाराणसी	फूलपुर सिन्धौरा मार्ग से गजोखर सम्पर्क मार्ग।	279 /2023/756 रासनि(1) /23-1-23/001-40 आरएसएन/ 2023 दिनांक- 16-03-2023	67.24 67.24 50.78 5.71 61.53	0.02	61.51	46.40
15	प्रा.ख. वाराणसी	वाराणसी आजमगढ़ मार्ग से सोयेपुर बाजार से मढ़वा लालपुर एढ़े मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	357/2021/1614 रासनि/ 23-1-21-05 रासनि/ 21 टी 0 सी 0 - दिनांक- 17-12-2021	88.37 88.37 61.53 8.18 80.19	75.76	4.43	4.43
16	प्रा.ख. वाराणसी	सिटी सारनाथ (कज्जाकपुरा से आशापुर तक) मार्ग के सतह सुधार , रौड फर्नीचर एवं अन्य विविधि कार्य	144/2023/223 रासनि/ 23-1-23/001-08 आरएसएन/ 2023 दिनांक- 31-01-2023	94.75 94.75 54.22 4.08 90.67	23.69	66.98	53.58
						कुल योग-	**985.26**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **कुल रू0 9,85,26,000/- (रूपये नौ करोड़ पचासी लाख छब्बीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-663/2023/आई/356781/23-1-23/001-23-1002(002)/139/2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।